

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक/रीडर-1/2021/ 427

शिवपुरी दिनांक 31.08.2021

फूलसिंह पुत्र चिन्दूलाल खंगार 15.09.2021

निवासी अलावदी तहसील

बदरवास जिला शिवपुरी----- आवेदक

वनाम

मध्यप्रदेश शासन



:: इशतहार ::

सर्व साधारण जनता ग्राम अलावदी तहसील बदरवास जिला शिवपुरी को सूचित किया जाता है कि आवेदक फूलसिंह पुत्र चिन्दूलाल खंगार निवासी अलावदी तहसील बदरवास जिला शिवपुरी का अतिरिक्त तहसीलदार बदरवास के प्र.क्रं 47/1998-99/अ-19 से प्राप्त पट्टे का ग्राम अलावदी की भूमि सर्वे नंबर 77 रकवा 0.91 हैक्टर के खसरा में अमल करने हेतु संहिता की धारा 115 के तहत प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। इस संबंध में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक 15.09.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। म्याद गुजरने के उपरांत की गई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक 31.08.2021
15.09.2021

पृ.क्रमांक/रीडर-1/2021/ 427

प्रतिलिपि:-

- 1- एक प्रति ग्राम की चौपाल पर चस्पा हो।
- 2- एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 3- एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 4- जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. शिवपुरी की ओर वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक/रीडर-1/2021/ 458

शिवपुरी दिनांक 20.09.2021




श्री स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज
उत्तराधिकारी स्वामी श्रीधराचार्यजी महाराज
निवासी डीडवाना जिला नागौर राजस्थान
द्वारा मुख्यातर भगवानदास पुत्र बाबूलाल गौड
निवासी जगतपुर कोलारस जिला शिवपुरी---आवेदक
वनाम
मध्यप्रदेश शासन

:: इशतहार ::

सर्व साधारण जनता ग्राम कुलवारा एवं बेरखेडी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज उत्तराधिकारी स्वामी श्रीधराचार्यजी महाराज निवासी डीडवाना जिला नागौर राजस्थान द्वारा मुख्यातर भगवानदास पुत्र बाबूलाल गौड निवासी जगतपुर तहसील कोलारस जिला शिवपुरी का ग्राम कुलवारा की भूमि सर्वे नंबर 107,108,109,110, 111,115,116,117,488 कुल किता 09 कुल रकवा 6.60 हैक्टर तथा ग्राम बेरखेडी के सर्वे नं. 293,294,295,300,301,303 कुल किता 06 कुल रकवा 6.93 हैक्टर भूमि के खसरा में दर्ज प्रविष्टि प्रबंधक कलेक्टर महोदय मण्डल शिवपुरी को विलोपित कर खसरा दुरुस्त करने हेतु संहिता की धारा 115 के तहत प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। इस संबंध में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक 05.10.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। म्याद गुजरने के उपरांत की गई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी ।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.

शिवपुरी दिनांक 20.09.2021

पृ.क्रमांक/रीडर-1/2021/ 458

प्रतिलिपि:-

- 1- एक प्रति ग्राम की चौपाल पर चस्पा हो।
- 2- एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 3- एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो।
- 4- जिला सूचना अधिकारी एन.आई.सी. शिवपुरी की ओर वेवसाइट पर अपलोड हेतु ।


कलेक्टर

जिला शिवपुरी म.प्र.